Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

अभिनव चतुर्वेदी बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 88, 89 नं. 112 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
8/11/24	राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के अन्तर्गत वाद–पत्र अभिनव चतुर्वेदी वगै0 की ओर से अधिवक्ता श्री घनश्याम नागर द्वारा प्रस्तुत बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। जॉच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वादी अधिवक्ता द्वारा बहस की गई जो सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 18/11/24 को पेश हो।	
18/11/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। वादीगण अधिवक्ता द्वारा बहस कर निवेदन किया गया कि वादीगण के माता अनिता चतुर्वेदी के स्थान पर तरूण चतुर्वेदी दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण की ओर से वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण व अन्य सहखातेदारी में ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नं0 212 रकबा 1.22 है0, खसरा नं0 241/491 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 219 रकबा 0.47 है0, ,खसरा नं0 221 रकबा 1.15 है0 खसरा नं0 528/215 रकबा 0.66 है0 कुल किता 5 की 3.59 है0 आराजी स्थित है। उक्त आराजी में पूर्व में वादीगण की माता अनिता चतुर्वेदी पत्नी तरूण चतुर्वेदी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। जिनका स्वर्गवास हो गया है वाद स्वर्गवास वादीगण द्वारा प्रतिवादी के यहां फौती इंतकाल के लिये आवेदन किया उक्त आवेदन में इंतकाल नं0 643 दिनांक 22.06.2021 तस्दीक किया गया, उक्त इंतकाल में वादीगण के पिता तरूण चतुर्वेदी के स्थान पर सहवन से माता अनिता चतुर्वेदी का नाम दर्ज कर दिया। अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर वादीगण की ग्राम बोरखण्डी स्थित आराजी में वादीगण के माता अनिता चतुर्वेदी के स्थान पर तरूण चतुर्वेदी की घोषणा कर राजस्व रिकॉर्ड में तरूण चतुर्वेदी दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे। वादीगण की ओर से की गई बहस के कथनों पर मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में अभिनव चतुर्वेदी पुत्र अनीता चतुर्वेदी एवं वरूण चतुर्वेदी पुत्र अनीता चतुर्वेदी सहवन से दर्ज हो गया है। अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार लाडपुरा को आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नं0 212 रकबा 1.22 है0, खसरा नं0 241/491 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 219 रकबा 0.47 है0, ,खसरा नं0 221 रकबा 1.15 है0 खसरा नं0 528/215 रकबा 0.66 है0 कुल किता 5 की 3.59 है0 आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में अभिनव चतुर्वेदी पुत्र अनीता चतुर्वेदी एव वरूण चतुर्वेदी पुत्र अनीता चतुर्वेदी के स्थान पर क्रमशः अभिनव चतुर्वेदी पुत्र तरूण चतुर्वेदी एवं वरूण चतुर्वेदी पुत्र तरूण चतुर्वेदी दर्ज किया जावे। डिक्री पर्चा से जारी किया गया। उक्त निर्णय आज दिंनाक: 18/11/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी

कोटा